न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू0डि0) जसपुर, जिला उधम सिंह नगर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–104/2026

कम्प्यूटर जनरेटेड नं0–82/2026

उत्तराखण्ड राज्य बनाम अरमान पुत्र अहमद नबी उर्फ नबिया, निवासी ग्राम सरवरखेड़ा, थाना कुण्डा, जिला उधम सिंह नगर।

धारा–305(ए),331(3),352,351(3),3(5) व 317(2) बी0एन0एस0
थाना–कुण्डा, जिला ऊधम सिंह नगर
अपराध संख्या–201/2026

आदेश

दिनांक 13.08.2026

अभियुक्त अरमान की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मौ0 कमर द्वारा उपरोक्त मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा व गलत फंसाया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई भी सोना चांदी के आभूषण बरामद नहीं हुए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.08.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामले में अपनी जमानत कराना चाहता है, जिसके लिए वह जिम्मेदार जमानती देने को तैयार है, आदि कथन करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई।

उक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर संबंधित थाने से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्या प्राप्त है। थाने से प्राप्त आख्या में जमानत का घोर विरोध किया गया।

इस स्तर पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर की छत से वादी मुकदमा के घर में घुसकर अलमारी का लॉकर तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात एक सोने का हार तथा चांदी की अंगूठी हार, ब्रैसलेट व बिछुए चोरी करने एवं अभियुक्त व सहअभियुक्त के कब्जे से उक्त चोरी किया गया सामान बरामद होने का अभियोग है। अभियुक्त दिनांक 09.08.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अभियुक्त पर लगाया गया अभियोग अजमानतीय व गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति अभियुक्त को ई0–मेल द्वारा संबंधित कारागार के जेल अधीक्षक के माध्यम से अविलंब प्रेषित की जाये।

(जहां आरा अंसारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू0डि0)
जसपुर, जिला–ऊधम सिंह नगर